न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 34 / 2017

प्रविष्टि दिनांक 23.03.2017

नन्दकिशोर पुत्र मूलचन्द जाति महाजन निवासी लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 16.09.2015 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री अनीस जैन, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री घसिडीया राम बैरवा, तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 21.12.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 16.09.2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 531/1 मे से रकबा 0.07 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है। पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर कोई जांच नही की है। अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शहादत पत्रावली पर उपलब्ध नही है,जिससे अपीलांट को पूर्व मे सजा याप्त किया गया हो। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:10:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 531/1 मे से रकबा 0.07 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा पर पक्की दीवार बनाकर व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है।

अपीलांट के कब्जे बाबत तहसीलदार मालपुरा से जांच करवाने पर तहसीलदार मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 2528 दिनांक 22.09.2021 से अवगत कराया है कि आरजी खसरा नम्बर 531/1 रकबा 07 बिस्वा वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह पर अतिक्रमी का कब्जा है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.09.2015 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.12.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति.जिला कलेक्टर, टोंक
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:10:46 IST
Reason: SelfAttested